कार्यालय उपनिदेशक, फायर सर्विस, परिक्षेत्र लखनऊ/फैजाबाद

पत्रांक:अ–121–डीडी(बाराबंकी)/2015 दिनांक:दिसम्बर 16,20

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट
बाराबंकी।

विषय:–डिवीजनल मैनेजर, मेसर्स एसार ऑयल लिमिटेड, के द्वारा ग्राम–बनीकोडर, तहसील–रामसनेही घाट, जनपद– बाराबंकी के खसरा सं0 288 एंव 305ख, भिटरिया से हैदरगढ रोड (भिटरिया से माइल संख्या 2 किलोमीटर से 200 मीटर पूर्व) पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट, पेट्रोल (MS) एंव डीजल (H विक्रय हेतु अग्निशमन व्यवस्था के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: डिवीजनल मैनेजर, मेसर्स एसार ऑयल लिमिटेड, के पत्र संख्या: *UP-C-1779* Dated:18-11-2015 पर अ पृष्ठांकन आदेश दिनांक: 26–11–2015

UID No:2015/16437/ BBK/Barabanki/99/DD Dated 14-12-2015

उपरोक्त विषय व सन्दर्भ में मैसर्स एसार ऑयल लिमिटेड के डिवीजनल मैनेजर के सन्दर्भित पत्र व साथ संलग्न पत्र संख्या REF: UP-C-1779 Dated : 30-10-2015 द्वारा डीलरशिप श्रीमती लज्जा चतुर्वेदी पत्नी अखिलेश चतुर्वेदी जी–9 सेक्टर–41 नोयडा उ0प्र0 के नाम दिये जाने का प्रस्ताव स्थल ग्राम–बनीकोडर, त रामसनेही घाट, जनपद– बाराबंकी के खसरा सं0 288 एवं 305 ख, भिटरिया से हैदरगढ रोड (भिटरिया से स्टोन संख्या 2 किलोमीटर से 200 मीटर पूर्व) पर प्रस्तावित है।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रेषित मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल का अग्नि सुरक्षा एंव पेट्रोलियम एक्ट 19 पेट्रोलियम नियम 2002 तथा OISD-225 के मानकों के अनुरूप अग्निशमन अधिकारी नगर बाराबंकी श्री ए0के0 द्वारा निरीक्षण किया गया तो अग्निशमन अधिकारी बाराबंकी एंव मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाराबंकी की आर अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आये:–

1– प्रस्तावित स्थल भिटरिया से हैदरगढ रोड पर स्थित है। निरीक्षण के समय प्रस्तावित स्थल खाली पाया गय पर अग्निशमन के सभी वाहन आसानी से पहुँच सकते है एंव अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।

2– प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन की भूमि का क्षेत्रफल 1225.00 वर्गमीटर है।

3– 30 के0 एल0 क्षमता का एक अदद हाई स्पीड डीजल भूमिगत टैंक तथा 20 के0एल0 क्षमता का एक पेट्रोल भूमिगत टैक प्रस्तावित है।

4– दोनों टैंक के ऊपर 4 मी0 ऊचॉई के अलग–अलग दो वेन्ट पाइप प्रस्तावित है।

5– भूमिगत टैक एंव वाउण्ड्रीवाल के मध्य 1.5 मी0 का सेटबैक छोडा जाना प्रस्तावित है।

6– निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाइन नहीं गुजरी पायी गयी।

7– पेट्रोल फिलिंग स्टेशन में प्रवेश/निकास हेतु 11.50 मी0 चौड़ाई के दो अदद मार्ग प्रस्तावित है। जो मा अनुरूप है।

8– क्षेत्रीय मार्ग व पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के मध्य बफरस्ट्रिप 12.00 मी0 लम्बी एंव 3.00 मी0 चौड़ाई का प्रस्तावि

9– प्रस्तावित स्थल के आस पास किसी ज्वलनशील पदार्थो का रख–रखाव/भण्डारण/ दुकान/भट्ठा आ पाया गया।

प्रस्तावित व्यवस्था एंव अग्निशमन प्रणाली

1– सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0–2148 व आई0एस0–5572 के मानकों के अनुरूप किया जाय तथा विद्युत में ई0एल0सी0बी0/एम0सी0बी0 का प्रयोग किया जाये।

2– प्रत्येक टैंक के लिए अलग–अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाए जो आपस में जुडी नहीं होना चाहि ऊँचाई 4 मी0 होनी चाहिए तथा उसके चारों तरफ 4 मी0 में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।

3– वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम 2002 एंव OISD-225 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।

4–टैंक में तेल भरते समय टैंक व लारी के पास खुली आग/चिराग का प्रयोग करना वर्जित होगा।

क्र

5– लारी/तेल टैंकर से तेल ड्रेन करते समय उसकी उचित अर्थिंग किया जाना अति आवश्यक होगा।

6– भण्डारण स्थल के पास फायर सैण्ड बकेट 12 अदद मय स्टैण्ड रखी जाये।

7– प्रत्येक डिस्पेंसर युनिट के पास 02–02 अदद आईएसआई मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्ष किलोग्राम के रखे जाये समस्त अग्निशमन यन्त्रों को सदैव कियाशील रखने एंव उनका रख–रखाव नियम किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकों का होगा।

8– इलेक्ट्रिकल उपकरणों के पास आईएसआई मार्क कार्बन डाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद क्षम कि0ग्रा0 के रखे जाये।

9– डीजल जनरेटर सेट के पास आईएसआई मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद 09 कि0ग्रा0 क्षम दो अदद 09 लीटर क्षमता के मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्यूशर्स आईएसआई मार्क के रखे जाये औ Sets के स्टैक Hight नियमानुसार होना चाहिए एंव टैंक के वेन्टपाइप से उचित दूरी होनी चाहिए।

10–सेल्सरूम एंव ल्यूबरूम में ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 06 के0जी0 आईएसआई के 01–01 अ इलेक्ट्रिकल पैनेल के पास सी.ओ.टू.फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 के0जी0 के 01 अदद रखा जाना अ होगा।

11–समर्सेबिल पम्प को जनरेटर से जोडा जाये व पम्प पर टी लगाकर 63 एम0एम0 की मेल कपलिंग/ह लगवाये जाय जिससे अग्निशमन के वाहन आवश्कता पडने पर पानी प्राप्त कर सकें।

12–लाइसेंस एरिया में जंक्शन बाक्स के साथ सभी लाइटें फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए।

13–प्रत्येक डिस्पेंसर युनिट पर इमरजेंसी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।

14–पेट्रोल पम्प पर इमरजेंसी प्लान OISD-225 के अनुसार होना चाहिए।

15–पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग OISD-225 मे निहित निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए

16–पेट्रोल पम्प पर **"धूम्रपान निषेध"** के बोर्ड लगे होने चाहिए।

17–फायर स्टेशन का टेलीफोन नं0 101,05241–255245 व मो0नं0 9454418728 व मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाराबंकी का सी.यू.जी. नम्बर 9454418354 और जिला कन्ट्रोल रूम का फोन नं0 100 बोर्ड पर सार्वजनिक से अंकित होना चाहिए।

18–प्रवेश/निकास द्वार प्रकाशित होने चाहिए, जिससे रात्रि के समय वाहन के आने जाने में कोई असुविधा न

19–ग्राहकों की जागरूकता के लिए निम्न को बोर्ड पर अंकित कर लटकायें:–

(अ) तेल भरने से पहले वाहन का इंजन बंद कर ले।

(ब) धूम्रपान न करें।

(स) मोबाइल बंद रखें।

20–रिटेल आउटलेट में स्थापित किये गये सभी प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की रिफिलंग/टेस्टिंग फीस राजकीय कोष में जमा कराना अनिवार्य होगा तथा विभागीय अग्निशमन अधिकारी से प्रतिवर्ष निरीक्षण अग्निशमन प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।

21–मानचित्र में अंकित बिन्दु संख्या 1–21 तक का पूर्णतया पालन किया जाये।

अतः उपरोक्त ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था एंव प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्था का पालन करने एंव पेट्रोलियम 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एंव OISD-225 में उल्लिखित नियमों का कडाई से पालन किये जाने की साथ अग्निशमन विभाग का प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि नि जाने के उपरान्त उपयोग से पहले पुनः निरीक्षण कराकर अन्तिम स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अ होगा अन्यथा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। स्वामी/प्रबन्धक स्वतः उत्तरदायी ह

संलग्नक–अनुमोदित मानचित्र।

(एस0के0 सिंह)
उपनिदशेक फायर सर्विस,पी
लखनऊ/फैजाबाद